PTET COUNSELLING 2026

पी.टी.ई.टी.2026 काउंसलिंग हेतु दिशा- निर्देश

कार्यालय

पी.टी.ई.टी.2026

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

गार्गी भवन, रावतभाटा रोड,कोटा- 324010(राज.)

सम्पर्क : 9116828238 E mail:-ptet2026@vmou.ac.in

P.T.E.T 2026 काउंसलिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1. आवेदक को कॉलेज का आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग में भागीदारी के संबंध में निर्देशों के साथ पी.टी.ई.टी.-2026 वेबसाइट **www.ptetvmoukota2026.in** पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने पीटीईटी परिणाम की घोषणा के बाद राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों और पी.टी.ई.टी.-2026 की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे ।
2. जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करते हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित कॉलेज को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे अपनी पीटीईटी योग्यता स्थिति और बी.एड में प्रवेश का मौका खो देंगे।
3. ऑनलाइन काउंसलिंग विधि से अभ्यर्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाईट पर आवेदन कर निर्धारित फीस रु.5000/- जमा करवानी होगी। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें मेरिट से हटा दिया जायेगा तथा उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. समस्त प्रवेश प्रक्रिया वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों के आधार पर पूर्ण की जायेगी। किसी भी महाविद्यालय को अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के प्रवेश का अधिकार नहीं है । सभी सीटों पर प्रवेश समन्वयक पी.टी.ई.टी.-2026 कार्यालय के द्वारा ही होंगे ।
5. अभ्यर्थी को महाविद्यालय का आवंटन पीटीईटी परीक्षा की मेरिट, संकाय, श्रेणी, महाविद्यालय की चयनित वरीयता आदि के आधार पर राजकीय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
6. **अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी, संकाय, लिंग एवं अन्य सभी सुचनाए जाँच ले**, अभ्यर्थी केवल स्वयं के एवं वैध मोबाईल नंबर एवं वैध ईमेल एड्रेस ही अंकित करें। भविष्य में सभी सूचनाएँ उसी नम्बर एवं ईमेल पर प्राप्त होंगी। **इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते की ही सूचना अंकित करें।** मोबाईल नम्बर तथा बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. वे अभ्यर्थी जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर के अलावा अन्य सभी सेमेस्टरों की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली है और उनका पिछला कोई भी प्रश्नपत्र (बैक पेपर) बकाया नहीं है, वे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस आधार पर दिया जाने वाला प्रवेश पुर्णतः प्रोविजनल होगा जब तक वह अभ्यर्थी अपनी अंतिम वर्ष की अंकतालिका महाविद्यालय में जमा नहीं करवा देता है । वर्तमान में स्नातक अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित न्यूनतम अंकों वाली अपनी अंकतालिका पी.टी.ई.टी. कार्यालय में जमा करानी होगी, अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को रुपए 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा|

शपथ पत्र

मैं, [छात्र/छात्रा का नाम]___________________, पुत्र/पुत्री श्री [पिता/पति का नाम]____________________________, निवासी [पूरा पता]____

मोबाइल नंबर-_________________
निम्न शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:

1. यह कि मैंने स्नातक पाठ्यक्रम के सभी पिछले सेमेस्टर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिए हैं।
2. यह कि मैं वर्तमान में स्नातक (Undergraduate - UG) अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।
3. यह कि मेरी स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है।
4. यह कि मैंने बी.एड. कॉलेज [कॉलेज का नाम] में अनंतिम प्रवेश (Provisional Admission) प्राप्त किया है।
5. यह कि मैं यह अनंतिम प्रवेश इस शर्त पर स्वीकार करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 31/10/2026 तक अपना अंतिम परिणाम प्रस्तुत करूंगा/करूंगी और मेरा परिणाम बी.एड. में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानकों (Minimum Qualification) के अनुरूप होगा।
6. यह कि यदि मैं न्यूनतम योग्यता मानकों को पूरा करने वाला अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने में असफल रहता/रहती हूँ, तो मेरा अनंतिम प्रवेश स्वतः ही निरस्त (automatically cancelled) माना जाएगा एवं नियमानुसार आवेदन शुल्क में से राशि रुपए 1000/- + दुर्घटना बीमा राशि काटकर देय राशि मेरे द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी|
7. यह कि प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में, मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कोई आपत्ति या वाद प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में कही गई सभी बातें मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान:
दिनांक:

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम: [छात्र/छात्रा का नाम])__________ आवेदन क्रमांक_________ रोल नंबर__________

काउंसलिंग आई डी_________________

सत्यापन (Verification)

उपर्युक्त शपथकर्ता ने मेरे समक्ष दिनांक [दिनांक] को इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए।
नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर मय मोहर/दिनांक के

8. पंजीयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी गयी जानकारी उपलब्ध होगी | अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उक्त जानकारी को सावधानी पूर्वक जांच लें | यदि उक्त में कोई संशोधन हो तो अभ्यर्थी Correction Panel बटन पर क्लिक करके 500/- रूपए शुल्क के साथ संशोधन कर सकता है | नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान एवं फैकल्टी, स्नातक कक्षा एवं शिक्षण विषय में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
9. परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 5000/- रूपए जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है | यह राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी |
10. काउंसलिंग पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्वयं का नाम एवं माता का नाम प्रविष्ट करके लॉगिन कर सकता हैं|
11. लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अभ्यर्थी से सम्बंधित सूचनाएं प्रदर्शित होगी, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है की सूचना भली-भांति जांच ले| यदि प्रदर्शित सूचनाओं में किसी तरह का संशोधन है तब करेक्शन पोर्टल पर जाकर अपनी सूचना में संशोधन कर ले| सूचनाओं जांचने के बाद हीअभ्यर्थीआगेकी कार्रवाई संपन्न करें |
12. तदुपरांत अभ्यर्थी काउंसलिंग पंजीकरण राशि रुपये 5000/- ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से जमा कराये| राशि जमा करवाने के उपरांत अभ्यर्थी को चालान संख्या प्राप्त होगा जिसे अभ्यर्थी आगे की कार्यवाही के लिए नोट कर लें एवं अभ्यर्थी काउंसलिंग पोर्टल हेतु अपना पासवर्ड स्वयं बनाएं अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें|
13. काउंसलिंग पोर्टल में निर्धारित समय सीमा में लॉगिन कर अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प भरे जा सकते है। विकल्प भरे जाने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें एवं पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. से काउंसलिंग पोर्टल खोलें। काउंसलिंग पोर्टल पर सर्वप्रथम अभ्यर्थी को उसके परीक्षा केन्द्र के जिले के अध्यापक शिक्षा संस्थान चुनने का विकल्प प्राप्त होगा। अभ्यर्थी उक्त जिले के संस्थानों का चयन विकल्प सूची में कर सकता है। तद्परान्त यदि अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के अन्य जिलों के संस्थानों के विकल्पों का भी चयन करना चाहता है तब वह अन्य जिलों (एक से अधिक जिले भी चुन सकता है।) के विकल्पों का चयन कर सम्बन्धित जिले के संस्थानों का विकल्प चुन सकता है।
14. अभ्यर्थी विकल्प चुनने के उपरान्त आवश्यक रूप से चयनित किये गये संस्थानों के नाम, पता, जिला एवं संस्थानों की वरीयता को भलीभांति जांच लें। विकल्प चुनने के उपरान्त अभ्यर्थी चयनित विकल्पों को आवश्यक रूप से सेव कर लें। विकल्प भरने की निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी चयन किये गये विकल्पों को लॉक कर सकता है।
15. प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों (Choice) में से अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का भी चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई

अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा | अभ्यर्थी को कम से कम एक अध्यापक शिक्षा संस्थान का चयन आवश्यक रूप से करना होगा |

16. अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया (काउंसलिंग) पूर्णतः ऑनलाइन है, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पी.टी.ई.टी.-2026 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गये केटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, MBC, EWS etc.) तथा सब केटगरी (Divorcee/Widow/PH/Defense etc.) की जाँच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लें। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र / विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र (जो लागू हो) संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता, कैटेगरी (अर्हता परीक्षा में GEN/EWS के लिए 50% व महिला एवं SC / ST / OBC / MBC / PH / Widow / Divorce के लिए 45% से उत्तीर्ण) से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी। मूल दस्तावेजों एवं अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी|
17. अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु पी.टी.ई.टी.-2026 की अधिकृत वेबसाईट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारें में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा।
18. यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है तो अंतिम तिथि के उपरान्त भरी गयी चॉइस स्वतः ही लॉक हो जायेगी|
19. **शुल्क**

- B.Ed. पाठ्यक्रम की प्रति वर्ष शुल्क रुपये 27000 है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क रुपये 5000/- है। यह राशि कुल शुल्क में समायोजित की जायेगी।
- ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने पर किन्तु कॉलेज आवंटन नहीं होने पर रूपये 200/- की कटौती की जायेगी तथा यदि कॉलेज आवंटन की स्थिति में कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करने पर रूपये 600/- कटौती की जायेगी।
- कॉलेज रिपोर्टिंग के पश्चात् अभ्यर्थी के अनिवार्य बीमा हेतु कुल शुल्क रुपये 27000 में से बीमा राशि की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- उक्त के अतिरिक्त किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क नियम विरुद्ध वसूला जाता है तो वह इसकी शिकायत संबद्ध विश्वविद्यालय (Affiliated University) से कर सकते है |
- अभ्यर्थी को गलत तथ्यों यथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता/परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी (संवर्ग) में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने का प्रयास किये जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। ऐसे

अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क की राशि रूपये 5000/- जब्त कर ली जायेगी एवं उचित कार्यवाही की जाएगी।

20. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 22000/- फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरान्त ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफण्ड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नये आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में प्रवेश संभव नहीं है |
21. पी.टी.ई.टी.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये समय-समय पर राज्य सरकार, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।
22. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की होगी।
22. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नही करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
23. प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2026 प्रथम काउंसलिंग की समय सारणी

क्र. सं.	विवरण	पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2026 प्रथम काउंसलिंग की समय सारणी
1.	आवेदन में संशोधन मय शुल्क 500/- ऑनलाइन भुगतान	04-07-2026 (शनिवार) से 16-07-2026 (गुरुवार) तक
2.	काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क 5000/- ऑनलाइन (ई–मित्र/नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान तिथि।	04-07-2026 (शनिवार) से 15-07-2026 (बुधवार) तक
3.	काउंसलिंग हेतु अध्यापक शिक्षा परिषद संस्थानों (बी.एड. कॉलेज) के विकल्पों को भरने की तिथि।	06-07-2026 (सोमवार) से 16-07-2026 (गुरुवार) तक
4.	प्रथम चरण अलोटमेंट सूची	21-07-2026 (मंगलवार)
5.	प्रथम चरण की अलोटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क (22000/-) का ऑनलाइन (ई–मित्र/नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान एवं दस्तावेज अपलोड तिथि।	21-07-2026 (मंगलवार) से 27-07-2026 (सोमवार) तक

6.	अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना	21-07-2026 (मंगलवार) से 29-07-2026 (बुधवार) तक
7.	शिक्षा संस्थानों द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना	21-07-2026 (मंगलवार) से 29-07-2026 (बुधवार) तक
8.	संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना	22-07-2026 (बुधवार) से 30-07-2026 (गुरुवार) तक
9.	संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरम्भ	29-07-2026 (बुधवार)
10.	अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि	30-07-2026 (गुरुवार) से 31-07-2026 (शुक्रवार) तक
11.	अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा	03-08-2026 (सोमवार)
12.	अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि	03-08-2026 (सोमवार) से 05-08-2026 (बुधवार) तक

शिक्षण विषय

1. 'शिक्षण विषय' का अर्थ वह विषय है जिसे अभ्यर्थी ने अपनी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में वैकल्पिक अथवा सहायक विषय के रूप में कम से कम दो वर्षों तक पढ़ा हो और प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय परीक्षा दी हो। वह विषय जो केवल स्नातक पाठ्यक्रम के एक भाग में पढ़ा गया हो, उसे शिक्षण विषय नहीं माना जाएगा। जैसे प्रथम या द्वितीय वर्ष में पढ़े गए सामान्य अंग्रेज़ी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, प्रारंभिक गणित, योग्यता संवर्धन विषय, दक्षता संवर्धन विषय आदि को शिक्षण विषय नहीं माना जाएगा।
2. B.Ed. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के पास स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण विषय होना आवश्यक है:
3. ऑनर्स डिग्री धारकों के लिए, ऑनर्स विषय के साथ-साथ सहायक विषय को भी शिक्षण विषय माना जाएगा, बशर्ते उसे अभ्यर्थी ने दो शैक्षणिक वर्षों में पढ़ा हो और विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो।
4. केवल वे अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन (Social Studies) को B.Ed. परीक्षा हेतु चुन सकते हैं, जिन्होंने स्नातक में निम्नलिखित में से कोई दो विषय अथवा समाजशास्त्र विषय पढ़े हों:
   इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान।
5. कृषि स्नातक को B.Ed. परीक्षा में सामान्य विज्ञान एवं जीवविज्ञान (Biology) विषय चुनने की अनुमति होगी। इसमें कृषि स्नातक (ऑनर्स) के अभ्यर्थी भी शामिल है।
6. B.Sc. (गृह विज्ञान) पास अभ्यर्थी को सामान्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान (Home Science) विषय चुनने की अनुमति दी जा सकती है। गृह विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) के अभ्यर्थी भी शामिल है

7. जिन अभ्यर्थियों ने रसायन शास्त्र (Chemistry) के साथ जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र में से कोई एक विषय पढ़ा हो, वे सामान्य विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में चुन सकते हैं।

8. जिन्होंने स्नातक या स्नातकोत्तर में राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन विषय पढ़ा है, वे नागरिक शास्त्र (Civics) को B.Ed. में शिक्षण विषय के रूप में चुन सकते हैं।

9. P.T.E.T.- 2026 की मेरिट सूची के निर्धारण हेतु अभ्यर्थी की फैकल्टी वह मानी जाएगी जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यदि स्नातकोत्तर परीक्षा किसी अन्य फैकल्टी से की गई है, तो उसे मेरिट निर्धारण या शिक्षण विषय चयन हेतु मान्य नहीं किया जाएगा।

10. यदि अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर परीक्षा दो विषयों में की हो और दोनों विषय किसी भिन्न फैकल्टी के हों (जो स्नातक से अलग हो), तो यदि दोनों विषय शिक्षण विषय हैं, तो स्नातकोत्तर फैकल्टी को मेरिट निर्धारण हेतु माना जा सकता है।

11. कॉमर्स स्नातक (B.Com) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र (Economics) को शिक्षण विषय नहीं चुन सकते।

12. ऐसे अभ्यर्थी जो B.Ed. पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक दो शिक्षण विषय नहीं चुन सकते, उन्हें P.T.E.T.-2026 काउंसिल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे विषयों में प्रवेश नहीं मिलेगा जो किसी विश्वविद्यालय के B.Ed. पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं।

13. जिन अभ्यर्थियों ने प्रोफेशनल डिग्री अथवा BBA, BCA, BSW, B.Sc. (Biotech/Microbiology/ Environmental Science) अथवा कोई अन्य ऐसी डिग्री की है जिसमें कोई विद्यालयीय शिक्षण विषय नहीं है, वे B.Ed. में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. बी. टेक. डिग्री धारक अभ्यर्थियों को NCTE Regulations, 2014, APPENDIX-4 Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree पृष्ठ संख्या-114, बिंदु संख्या 3.2 (a) के अनुसार आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है । इस बिंदु में उल्लेखित है कि Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks योग्यताधारी अभ्यर्थी Bachelor of Education Programme हेतु पात्र है । ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय specialization in Science and Mathematics का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा । विद्यालय शिक्षा के दो विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बी. टेक. अभ्यर्थी भी Bachelor of education programme पात्र हैं।

15. पात्रता नियमों के अंतर्गत अयोग्य अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन या प्रवेश शुल्क जमा कर देने से प्रवेश का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

(1) ARTS FACULTY TEACHING SUBJECT: -

- DRAWING AND PAINTING
- MATHEMATICS
- CIVICS
- MUSIC
- HOME SCIENCE
- RAJASTHANI
- ECONOMICS

- SOCIAL STUDIES
- ENGLISH
- SANSKRIT
- GEOGRAPHY
- HINDI
- URDU
- HISTORY
- PUNJABI

A. **CIVICS TEACHING SUBJECT** चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर यदि आपने निम्न में कोई एक विषय पढ़ा है तो ही आप CIVICS विषय का चयन कर सकते है।

- POLITICAL SCIENCE
- PUBLIC ADMINISTRATION

B. **SOCIAL STUDIES TEACHING SUBJECT** चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर यदि आपने निम्न में कोई दो विषय अथवा समाजशास्त्र विषय पढ़े है तो ही आप SOCIAL STUDIES विषय का चयन कर सकते है अथवा नहीं।

- HISTORY
- GEOGRAPHY
- PHILOSOPHY
- POLITICAL SCIENCE
- PSYCHOLOGY
- ECONOMICS
- PUBLIC ADMINISTRATION
- SOCIOLOGY

(2) **SCIENCE FACULTY TEACHING SUBJECT**

- HOME SCIENCE
- PHYSICS
- ECONOMICS
- BIOLOGY
- CHEMISTRY
- GEOGRAPHY
- MATHEMATICS
- GENERAL SCIENCE

(3) GENERAL SCIENCE TEACHING SUBJECT के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई दो विषय पढ़े है तो ही आप GENERAL SCIENCE का चयन कर सकते है अथवा नहीं।

- CHEMISTRY के साथ निम्न में से कोई भी एक विषय होने पर
    1. BOTANY
    2. BIOLOGY
    3. ZOOLOGY
- जिसने BSC HOME SCIENCE है वह TEACHING SUBJECT में केवल HOME SCIENCE, GENERAL SCIENCE का ही चयन करे।
- जिसने BSC AGRICULTURE में कर रखी है वह TEACHING SUBJECT में केवल GENERAL SCIENCE, BIOLOGY का ही चयन करें।

(4) COMMERCE FACULTY TEACHING SUBJECT: -
जिसने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषय पद रखे हैं।

- BOOK KEEPING
- COMMERCE PRACTICE

उपर्युक्त TEACHING SUBJECT या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य स्नातक को दिया जाने वाला विषय ही मान्य हैं। इसमें वाणिज्य स्नातक (ओनर्स) के अभ्यर्थी भी शामिल है।

अंतिम सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों हेतु निर्देश

वे अभ्यर्थी जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर के अलावा अन्य सभी सेमेस्टरों की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हैं और उनका पिछला कोई भी प्रश्नपत्र (बैक पेपर) बकाया नहीं है, वे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस आधार पर दिया जाने वाला प्रवेश प्रोविजनल होगा जब तक वह अभ्यर्थी अपनी अंतिम वर्ष की अंकतालिका महाविद्यालय में जमा नहीं करवा देता है। वर्तमान में स्नातक अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित न्यूनतम अंकों वाली अपनी अंकतालिका पी.टी.ई.टी. कार्यालय में जमा करानी होगी, अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में प्रवेश केवल समन्वयक पी.टी.ई.टी.-2026 कार्यालय द्वारा किया जायेगा | अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।
2. पी.टी.ई.टी-2026 की परीक्षा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की याचिका संख्या 6237/2014 और 10054/2015 द्वारा पारित निर्णय की पालना की जायेगी।
3. पी.टी.ई.टी-2026 में सम्मलित एवं पंजीयन करके काउंसलिंग प्रकिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भर दिए गए विकल्पों के आधार पर नियमानुसार महाविद्यालय आवंटित किया जाता है।

4. अभ्यर्थी द्वारा चुने गये दो शिक्षण विषयों में से कम से कम एक विषय के आधार पर महाविद्यालय आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि वह दोनों शिक्षण विषय दोनों विषयों या कोंई एक शिक्षण विषय को आवश्यक रूप से चाहता है तो वह काउंसलिंग में वही महाविद्यालय का चयन करें जिस में वह विषय होवें। महाविद्यालय आवंटन होने के प्रश्चात इस आधार पर किसी प्रकार के महाविद्यालय आवंटन के निरस्त करने की कोंई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

सम्पूर्ण प्रकिया उपरांत स्वीकृत सीट से कम प्रवेश के लिए आयोजक विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा। किसी महाविद्यालय द्वारा प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत रिक्त सीट पर प्रवेश के वाद प्रस्तुत किया जाना मान्य नही रहेगा। प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है।

आरक्षण

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
2. बी.एड.संकाय में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत स्थान एवं कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। महिला आरक्षण की कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई सीट्स विधवा/ परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।
3. अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 08.03.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019 राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11()आ.क.व./डीडीबीसी/सान्या अवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022) व सत्र 2024-25 से बी.एड.कॉलेज (सहशिक्षा) में प्रवेश हेतु कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी (उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-03349 जयपुर दिनांक 06.02.2024)।
4. आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षों तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11()()आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि./12/7376-409 दि. 24.01.2013)
6. सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
7. बिंदु संख्या 6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
8. आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
9. बारां जिले के समस्त सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के समस्त बी.एड. विद्यालयों में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के भर्ती हेतु जारी निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 16.01.2020 के अनुरूप प्रवेश में भी लाभ देय होगा।

प्रवेश हेतु सीट प्रतिशत निम्नानुसार रहेगा-

वर्ग	सामान्य	EWS	SC	ST	OBC	MBC	बारां जिले के स्थानीय सहरिया
सीट प्रतिशत	**36**	**10**	**8**	**6**	**10**	**5**	**25**

10. मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में प्राथमिकता दी जाएगी |
11. प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
12. निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र/UD ID (Unique Disability identity card) प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पी.एम.ओ. जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
13. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज /साक्ष्य जिसमे उसके पति का नाम अंकित हों यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

14. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

15. प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories
I.	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री
II.	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री
III.	उपरोक्त के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे|

*CAPF में CRPF,BSF,ITBP,SSB,CISF,RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित है |